फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :—**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं. /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4.12.24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण को आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादीगण के न्यायालय मे हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिकारी जयपुर